Volume-1, No.2 Aug.-2014, pp.81-84

# पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आंगनवाड़ी केन्द्र

**डा0 स्वाति सक्सेना,** एसोसिएट प्रोफेसर,
डी.जी.पी.जी. कालिज, कानपुर उ.प्र. भारत।
**श्री गुरूबचन सिंह,** शोधछात्र
उत्तर प्रदेश राजऋषि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उ.प्र. भारत।

शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसको सवाँरती भी है। जन्म के समय बालक पशुवत् आचरण करता है। वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। बालक की आवश्यक जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसमें ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य बालक के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है और जीवन पर्यन्त चलता रहता है। बालक के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके माता–पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। जब बालक कुछ बड़ा होता है तब उसे उठने, बैठने, चलने, फिरने, खाने, पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियां सिखाई जाने लगती हैं। जब वह तीन–चार वर्ष का हो जाता है तो सामान्यतः उसे पढ़ना–लिखना सिखाते हैं। इसी आयु से पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केन्द पर भेजा जाता है। जहाँ औपाचारिक शिक्षा से पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है।

जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात मानस पटल पर झंकृत करती है तब फ्रेडरिक फ्रोबेल का नाम लिए बिना यह संकल्पना अधूरी रहेगी। फ्रोबेल का जन्म जर्मनी में 21 अप्रैल 1782 में हुआ था यह शिक्षाशास्त्री विश्व के लिए एक महत्पूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये। शिक्षण विधियों के बारे में महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रोबेल को खेल विधि का जन्मदाता कहा जाता है। फ्रोबेल ने किण्डरगार्टन पद्धति में चार प्रकार के खेलों को मान्यता दी हैं।

1. **मनोरंजन व रचनत्मक खेल**–इन खेलों के अन्तर्गत दौड़ना, घूमना, झूला झूलना आदि आते हैं।
2. **चरित्र विकास करने वाले खेल–** इन खेलों का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना होता है। खेल ही खेल में बालक पढ़ना सीख जाते हैं।
3. **सामूहिकता की भावना पैदा करने वाले खेल–** इन खेलों के माध्यम से बालक में सामूहिकता की प्रवृत्ति पैदा करना। इन खेलों में सामूहिक गीत–संगीत, खेल, नाटक, नृत्य इत्यादि आते हैं।
4. **कल्पना का विकास करने वाले खेल–** इन खेलों के माध्यम से बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। जिससे बालक विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं।

इसके साथ ही बालकों को मात्र शिशु गीत उपहार व कार्य व्यवहार के माध्यम से बालकों से विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करवाया जाता है।

भारत वर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1872 में लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल की स्थापना से लखनऊ में प्रारम्भ हो गया था। इस स्कूल की स्थापना के उपरान्त सन् 1885 में सेन्ट हिल्दा नर्सरी स्कूल की स्थापना पूना में की गई थी। इन स्कूलों की स्थापना के बाद ईसाई मिश्नरियों ने अपने पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ किया। साथ ही महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा

सम्बन्धी विचार को भी संज्ञान में रखा गया। जब सन् 1939 में मेंरिया मॉण्टेसरी ने भारत का भ्रमण किया और 1939 में ही थियोसॉफिकल सोसायटी की स्थापना की तथा अपने विचारों से यहां के शिक्षा विदों को अवगत कराया तो यहां के लोगों ने बड़ी मात्रा में मॉण्टेसरी स्कूलों की स्थापना की।

इसी परिप्रेक्ष्य में सार्जेण्ट योजना पर भी दृष्टिपात करना अनिवार्य हो जाता है। सन् 1944 में सार्जेण्ट योजना के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित सिफारिशें थीं–

1. किसी राष्ट्रीय शिक्षा योजना को सफल बनाने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अथवा शिशु शिक्षा का आयोजन आवश्यक है।
2. नगरों में जहां अधिक छात्र संख्या है वहां पर नर्सरी स्कूलों की प्रथक व्यवस्था की जाये। दूसरे स्थानो पर जहां छात्रों की संख्या कम है नर्सरी स्कूलों को प्राइमरी विद्यालयों से सम्बद्ध कर एकीकृत कर दिया जाये।
3. नर्सरी स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त महिला शिक्षिकाओं की ही नियुक्ति की जाये।

4. इस अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा प्रदान करना नहीं वरन बालकों को सामाजिक अनुभवों को प्रदान कराना।

5. यह शिक्षा योजना 03 से 06 वर्ष के बालकों के लिए होगी।

इसी तारतम्य में भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् गठित कोठारी कमीशन (1964–66) ने भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गये :

- बच्चों का पोषण और शारीरिक विकास करना।
- बच्चों की भाषा का विकास करना तथा उनके उच्चारण को शुद्ध करने पर बल देना।
- बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, उनमें सौन्दर्य बोध उत्पन्न करना।
- बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना तथा उनकी सृजनात्मक शक्ति को जाग्रत करना।

आज भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु तमाम तरह के स्कूल जैसेः– किण्डरगार्टन, मॉण्टेसरी इत्यादि स्कूल चल रहे हैं। इसी संदर्भ में आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रमुख स्थान रखते हैं। बच्चों के प्राथमिक विद्यालयों में जाने से पहले आंगनबाड़ी केन्द्र शिक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। छोटे बच्चों को प्यार, सुरक्षा, विश्वास, सराहना और मान्यता की जरूरत होती है। इन केन्द्रों का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा न देकर फूल–पत्ती तथा स्थानीय उपलब्ध साधनों से शिक्षा के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करना जिससे बच्चों की जिज्ञासा सन्तुष्ट हो सके और उन्हें रचनात्मक शिक्षा के लिए प्रेरणा मिल सके।

स्वतन्त्र भारत में संचालित आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के इतिहास पर दृष्टिपात करना परमावश्यक है। समेंकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना का प्रारम्भ 2 अक्टूबर, 1975 को पूरे भारत वर्ष में बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया। प्रदेश में वर्ष 1975 में 3 विकास खण्डों में गर्भवती/धात्री माताओं एवं बच्चों आदि को कुपोषण से बचाने के लिए उनके समन्वित विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से यह परियोजना प्रारम्भ की गयी। प्रदेश के 897 परियोजनाओं में 166073 आंगनबाड़ी केन्द्र 22186 मिनी केन्द्र स्वीकृत हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शून्य से 06 वर्ष की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा सेवायें प्रदान की जा रही हैं। आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम बच्चों के पोषण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के लिए एक मुख्य कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम मुख्यतः स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी विभिन्न घटकों वृद्धि निगरानी अनुपूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं संदर्भित सेवाएं केन्द्र पर उपलब्ध हैं।

**कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य**

- बच्चों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 06 से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना।
- मृत्यु दर, अस्वस्थता, पोषण एवं स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर कम करना।
- बालविकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना है।
- उचित समुदाय के माध्यम से माताओं की क्षमताओं का विकास करना जिससे वे बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित निर्णय ले सकें और उनकी उपयुक्त ढंग से देख–भाल कर सके।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 500 से 1000 की आबादी पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 06 आवश्यक सेवाओं का प्राविधान किया गया।

**कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी**

- 06 माह से 03 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चे।
- 03 वर्ष से 06 वर्ष के शत–प्रतिशत बच्चे
- शत–प्रतिशत गर्भवती एवं धात्री महिलाएं।
- किशोरी बलिकायें।

कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों एवं महिलाओं व बालिकाओं को लाभ पहुँचाया जाता है। परियोजनाओं से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में सत्प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन होने पर पोषाहार के लाभार्थियों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत् होना अनुमानित हैः–

**श्रेणीवार लाभार्थी अनुमानित संख्या (लाख में)**

| | |
|---|---|
| 06 माह से 03 वर्ष की आयु के बच्चे | 104.59 |
| 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु के बच्चे | 96.60 |
| गर्भवती/धात्री महिलायें | 47.89 |
| 03 किशोरी बालिकायें | 04.54 |
| **कुल योग** | **253.62** |

**प्रदेश में बाल विकास परियोजनाओं की स्थिति**

| | |
|---|---|
| कुल जनपद | 72 |

| | |
|---|---|
| कुल स्वीकृत परियोजनाए | 897 |
| कुल संचालित परियोनाएं | 897 |
| कुल स्वीकृत केन्द्र | 166073 |

इतनी बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है क्या यह परियोजना बालकों के संरक्षण और उनकी स्वतन्त्रता तथा उनके सम्मान की कसौटी पर खरी उतर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान में निहित बाल अधिकारों के साथ क्या न्याय हो पा रहा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जैसे हाल के कानूनों से स्पष्ट है कि बालाधिकारों पर विशेष बल दिया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आई0सी0डी0एस0) और एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.) जैसे कुछ कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि विकेन्द्रीकरण और समुदाय एवं नगर समाज की सरकार के साथ समान अधिकार के रूप में सहभागिता बच्चों के अधिकारों के प्रभावी उपलब्धि के महत्वपूर्ण अंग हैं।

**भारतीय संविधान में बच्चों के लिए उपबन्ध**

संविधान निर्माताओं ने सुरक्षित बाल्यावस्था और बालाधिकारों के संरक्षण को भारतीय लोकतंत्र की आधाशिला के रूप में स्वीकार किया। संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की धारा–39एफ में कहा गया है कि ''स्वस्थ ढंग से विकास के लिए बच्चों को स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं। और शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक तिरस्कार के विरूद्ध बच्चों और युवाओं का संरक्षण दिया जाता है।'' सामाजिक न्याय के मूल्यों को दोहराते हुये उसमें कहा गया कि ''श्रमिकों,पुरूषों और स्त्रियों तथा बच्चों के कोमल स्थिति का गलत उपयोग नहीं किया जाता और नागरिकों को आर्थिक विषमताओं के कारण ऐसा कोई कार्य व्यवसाय नहीं करना पड़ता है, जो उनकी आयु अथवा शक्ति के प्रतिकूल हो।'' इसके आगे शिक्षा के अधिकार के महत्व को स्वीकार करते हुए धारा 45 में संकल्प लिया गया है। ''संविधान के लागू होने के 10 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य (सरकार) का सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक दी जायेगी।'' संविधान में एक यह भी धारा है जिसमें समयबद्ध संकल्प लिया गया है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण जहाँ अनिवार्यतः एक सार्वभौमिक नजरिया है वही संविधान में सार्थक कार्यवाही की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। धारा 46 कहती है कि राज्य (सरकार) ध्यानपूर्वक समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।

समानता और सामाजिक न्याय के इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से उभरना औपनिवेशिक दासता से स्वाधीनता के आवेशित वातावरण में ही सम्भव था। उस वातावरण में बच्चों समेंत भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता अपनाना ही सर्वोपरि उद्देश्य था। दमन और शोषण की दुनिया से बच्चों को बाहर निकालना एक महत्वपूर्ण और प्रातव्य लक्ष्य की तरह देखा जा रहा था और जो कानून नीति निदेश और सामुदायिक एकजुटता से ही प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु एक लम्बा समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी दमन और तंगहाली का सामना कर रहे बच्चों का मुद्दा सत्ता में बैठे हुये राजनेताओं और अधिकारियों का ध्यान नहीं खीच सके। बच्चों की भलाई व सामाजिक न्याय की वस्तु नहीं रह गई है, बच्चों का हित एवं अधिकार भारत में लोकतन्त्र और विकास के राष्ट्रीय कार्यों के अभिन्न अंग के तौर पर नहीं देखे जाते हैं। इसका एक नमूना कुछ इस प्रकार से दृष्टव्य है।

उ0प्र0 में संचालित आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अधिकांश केन्द्रों पर बच्चों की देख–रेख की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाल में समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं का सिंहावलोकन करने पर वास्तविकता से परिचित हो सकेंगे।

**1. आंगनबाड़ी केन्द्रों की हालत सोचनीय :** उ0प्र0 में संचालित आगंनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति बहुत कमजोर हैं अधिकांश केन्द्रों का अपना भवन नहीं है जिनमें प्रमुख रूप से केन्द्र प्राथमिक स्कूल पंचायत भवन अथवा किराये के मकानों में अपना कार्य अथवा कार्यकत्रियों के घर से संचालित हो रहे हैं।

अर्थात सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एक योजना मात्र बन कर रह गये हैं। विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोग न पाना एक विकट समस्या है। किसी भी संस्था के संचालन का प्रमुख आधार उसका एक मजबूत ढांचा होता है तथा एक कार्यस्थल होता है। जबकि उ0प्र0 के अधिकतर आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वयं का भवन न मिल पाना एक बड़ी चुनौती है। परिणामस्वरूप इन केन्द्रों ने विभिन्न अव्यवस्थाओं को जन्म दिया है समय रहते सरकार को इस समस्या की ओर शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहिए।

**2. मिथ्या उपस्थिति :** सरकार के अधिकांश प्रयासों के बाबजूद संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्यवस्थित रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। इन केन्द्रों में नामांकित

छात्र/छात्राओं की संख्या भी संदेह के घेरे में है। उ0प्र0 के समाचार के पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से एक तथ्य और प्रकाश में आया है इन केन्द्रों में छात्रों की उपस्थिति का लेखा–जोखा वास्तविक नहीं है। ऐसे ही एक केन्द्र के छात्र पंजिका में 32 छात्र/छात्रायें पंजीकृत थे जबकि केन्द्र पर मात्र 9 बच्चे ही उपस्थित थे। इसी तरह का दृश्य एक अन्य केन्द्र का जहां बच्चे पंजीकृत थे 47 जबकि उपस्थिति मात्र 6 बच्चों की लगी थी बाकी का विवरण उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में केन्द्रों के संचालन का क्या औचित्य है?

**3. पठन–पाठन की उचित व्यवस्था नहीं :** उ0प्र0 के अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों की बच्चों को सीखने और सिखाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। बच्चों के पास रंगबिरंगी किताबें तो थी पर वहीं कुछ केन्द्रों पर बच्चों के पास न किताबें और न स्लेटें थीं। अधिकांश केन्द्र नियमित ढंग से खुलते ही नहीं और कुछ खुलते हैं तो उनकी कार्यकत्रियां गांव की बहुयें होने के कारण केन्द्रों पर आती ही नहीं। और कुछ आती हैं जो उनके कार्य सन्तोषजनक नहीं हैं। याकूतगंज के एक केन्द्र पर जाकर देखा तो वह केन्द्र मात्र सहायिका के सहारे चल रहा था। इसी तारतम्य में एक केन्द्र का नजारा तो और ही निकला कि वह केन्द्र अधिकतर बन्द ही रहता है।

**4. पोषाहार की उपलब्धता और भोजन को पकाने की उचित व्यवस्था नहीं है :** आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार की व्यवस्था बहुत सन्तोषजनक नहीं है। बच्चों को पकाया हुआ भोजन पौष्टिकतायुक्त भोजन देने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई लेकिन कहीं–कहीं बर्तन ही उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर केन्द्रों पर किराये के बर्तनों के सहारे पोषाहार पकाया जाता है और कुछ केन्द्रों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि पोषाहार के नाम पर बच्चों को मात्र बिस्किट या खिचड़ी (तहेड़ी) ही दी जाती है। बच्चों को मिलने वाली पंजीरी तो अधिकतर बेंच ही दी जाती।

**निष्कर्षतः** कहा जा सकता है कि उ0प्र0 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र लक्ष्य से काफी दूर हैं। इन केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्य हैं प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व बच्चों का उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक विकास सर्वोपरि रखा गया। परन्तु इस लक्ष्य को पाना आसान काम नहीं है। बच्चों के लिए निर्धारित कीमत दो रू0 से बढ़ाकर चार रू0 कर दी गई है। इन चार रूपयों में बच्चों को नमक,तेल व अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था का फरमान जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिया गया है।

इन विभिन्न विषम स्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों को पाना एक दुरूह कार्य है। उ0प्र0 में संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अच्छे परिणामों के लिए निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

1. सरकार को प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को भवन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह केन्द्र एक निश्चित कार्यस्थल पर कार्य कर सके।
2. अभिभावकों को इस योजना के महत्व के बारे में जागरूक किया जाये ताकि वे अपने बच्चों को केन्द्रों पर भेजने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
3. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकें।
4. योजना के सफल संचालन के लिए बजट की पर्याप्त उपलब्धता समयानुसार होती रहे ताकि धनाभाव के कारण कोई कार्य न रूके।
5. उ0प्र0 में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय–समय पर निरीक्षण परमावश्यक है ताकि गांव इत्यादि की बहुयें भी काम पर आ सकें।
6. इन केन्द्रों पर भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त रहता है इसका भी निदान किया जाये।
7. इन केन्द्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों को नैतिक एवं ईमानदारी का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि लोग ईमानदारी के साथ कार्य कर सकें।
8. पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नवीनतम नवाचारों का प्रयोग किया जाये ताकि बच्चों का पर्याप्त विकस हो सके।
9. कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का वेतन समय से दिया जाये ताकि वह सन्तुष्टि के साथ कार्य कर सकें।
10. प्रत्येक केन्द्र को पूर्ण रूप से स्वाबलंबी बनाया जाये ताकि वह बिना किसी बाधा के कार्य कर सके।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :**


1. बी.एड. दिगदर्शन,प्रो. उदयवीर सक्सेना पृ.–42–44
2. योजना (पत्रिका), नवम्बर–2012 पृ.– 07
3. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें,डा. मालती सारस्वत व प्रो. मदनमोहन पृ.–178–179
4. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, डा. गिरीश पचौरी पृ.–349–352
5. शिक्षा चिंतन, शैक्षिक त्रैमासिक शोध पत्रिका अप्रैल–जून 2012 पृ.19,20
6. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, प्रो. रमन बिहारीलाल पृ.सं. 1–2
7. दैनिक जागरण, (2013) कुपोषित है आंगनबाड़ी केन्द्र पृ.– 04
8. दैनिक जागरण, (2013) कैसे सुधारे नौनिहालों की सेहत पृ.–07
9. भारतीय शिक्षा की समस्यायें एवं विकास, पी.डी. पाठक ।
10. भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास, डा. सुरेश भट्नागर।
11. शैक्षिक निबंध, डा. रामशकल पाण्डेय